

GOVERNMENT OF INDIA


दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 181

No. 284]

DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

[N.C.T.D. No. 181

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सं. फा. 3(19)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/466.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) द्वारा जारी अधिसूचना सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/382, 01/2017-दिल्ली कर (दर), तारीख 30 जून, 2017 में,—

- i. अधिसूची I-2.5% प्रविष्टि क्र. संख्या 35 पर अध्याय 0901 के अन्तर्गत, में “काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं” के स्थान पर “काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं” पढ़ें ;
- ii. अधिसूची I-2.5 % प्रविष्टि क्र. संख्या 103 के पश्चात्, स्थापित करें—

“103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न];
---------	------	--

- iii. अधिसूची I-2.5% प्रविष्टि क्र. संख्या 165 में “2710 19 00” के स्थान पर “2711 19 00” पढ़ें;
- iv. अधिसूची I-2.5% प्रविष्टि क्र. संख्या 234 में “84 या 85” के स्थान पर “84, 85 या 94” पढ़ें;

v. अधिसूची II-6 % प्रविष्टि क्र. संख्या 16 के पश्चात्, स्थापित करें-

"16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मँडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं); क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे ही निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित";
--------	------	--

- vi. अधिसूची II-6 % प्रविष्टि क्र. संख्या 47 में "2202 90 10" के स्थान पर "2202 99 10" पढ़ें ;
- vii. अधिसूची II-6 % प्रविष्टि क्र. संख्या 48 में "2202 90 20" के स्थान पर "2202 99 20" पढ़ें;
- viii. अधिसूची II-6 % प्रविष्टि क्र. संख्या 49 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;
- ix. अधिसूची II -6 % प्रविष्टि क्र. संख्या 50 में "2202 90 30" के स्थान पर "2202 99 30" पढ़ें ;
- x. अधिसूची IV-14 % प्रविष्टि क्र. संख्या 163 के पश्चात्, स्थापित करें—

"163(अ)	8701	"1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"।
---------	------	--

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 26th July, 2017

No. F. 3(19)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/466.—In the notification of the Government of NCT of Delhi, in the Finance (Revenue-I) Department, Government of National Capital Territory of Delhi, issued *vide* No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, No. 01/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017.

- (i) in Schedule I – 2.5% - entry at S.No. 35, under the chapter 0901, for "Coffee, whether or not roasted or decaffeinated", *read* "Coffee roasted, whether or not decaffeinated";
- (ii) in Schedule I – 2.5% - after entry at Sl.No. 103, insert-

"103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake];
-------	------	--

- (iii) in Schedule I – 2.5% - at Sl.No. 165, for "2710 19 00", *read* "2711 19 00";
- (iv) in Schedule I – 2.5% - at Sl. No. 234, for "84 or 85", *read* "84, 85 or 94";
- (v) in Schedule II – 6% - after the Sl. No.16, insert—

"16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried" ;
------	------	--

- (vi) in Schedule II - 6% at Sl.No. 47, *for* "2202 90 10", *read* "2202 99 10";
- (vii) in Schedule II - 6% at Sl.No. 48, *for* "2202 90 20", *read* "2202 99 20";
- (viii) in Schedule II - 6% at Sl.No. 49, *for* "2202 90 90", *read* "2202 99 90";
- (ix) in Schedule II - 6% at Sl.No. 50, *for* "2202 90 30", *read* "2202 99 30";
- (x) in Schedule IV - 14% - after the Sl. No. 163, insert-

"163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc".
-------	------	--

This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)